बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

दिनांक 30/31.12.2016 की रात्रि में केन्द्रीय कारा, बक्सर से 05 सजायाफ्ता बंदियों की पलायन की घटना में श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह, उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर द्वारा बिहार कारा हस्तक–2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। साथ ही उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करके कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण पलायन की इतनी बड़ी घटना घटित हुई और 05 सजायाफ्ता बंदी पलायन करने में सफल हुए।

2. अतः उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह, उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

3. इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न किये गये कारा से देय होगा।

16/1/17

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/नि0को0(अधी0)–01–01/2017.....217.....दिनांक.....16-01-2017.....

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के गोपनीय कोषांग/जिला पदाधिकारी, बक्सर/अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर/श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह, उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/17

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।